

STP (C.V.)
No. 1327
Dt. 15.7.14

भाग III

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 जुलाई, 2014

CIP HR.

No. 2889

14-7-14

Receipt No. 4603

Date. 10/7/14

O/o F.C.T.C.P.

DETER
15-7-2014

CTP

Pr. get it
hosted on
our website
also.
14-7-14
STP (C.V.)
DTP (C.V.)

15-7-2014

DTP (C.V.)
DTP (P.S.)
No. 6625...
Dt. 14/7/14
S. S. T. C. P.

संख्या का०आ०78/ह०अ० 16/1994/घा०346/2014.-हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम संख्या 16) की धारा 346 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या एम०सी०एफ०/सी०टी०पी०/2012/48, दिनांक 7 अगस्त, 2012 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अधिसूचना संख्या 13/29/91-3क 2, दिनांक 11 दिसम्बर, 1991 द्वारा रूपान्तरित करने वाली विकास योजना के अन्तिम संशोधन को प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, स्थानीय शासन विभाग, अधिसूचना संख्या 13/29/91-3क2, दिनांक 11 दिसम्बर, 1991 में, अनुबन्ध 'ख' में, खण्ड VII में, उप खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(i) वाणिज्यिक उपयोग हेतु आरक्षित किये गये सैक्टरों के विकास के लिए प्राईवेट उप निवेशकों को हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम 8) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अभिन्यास योजना के अनुसार सैक्टर क्षेत्र का 30 प्रतिशत की सीमा तक विकसित करना अनुमत होगा, बाकी 70 प्रतिशत क्षेत्र केवल सरकार या सरकारी उपक्रम या सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जायेगा।"

पी० राघवेन्द्रा राद,

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 9th July, 2014

No. S.O.78/H.A.16/1994/S. 346/2014—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 346 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Haryana Act No. 16 of 1994) and with reference to the Haryana Government, Urban Local Bodies Department, Notification No. MCF/CTP/2012/48, dated the 7th August, 2012, the Governor of Haryana hereby publishes the final amendment in Development Plan modifying the Final Development Plan vide Notification No. 13/29/91-3C II, dated 11th December, 1991, namely:—

Amendment

In the Haryana Government, Local Government Department, Notification No.13/29/91-3C-II, dated the 11th December, 1991, in Annexure - 'B', in clause VII, for sub-clause (i), the following sub clause shall be substituted, namely:—

- “ (i) For the development of sectors reserved for commercial use, private developers shall be permitted to develop to the extent of 30% of the sector area as per the layout plan approved by competent authority after obtaining licence under the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (Act 8 of 1975), balance 70% area shall be developed exclusively by the Government or a Government undertaking or by a public authority approved by the Government.”

P. RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Urban Local Bodies Department.